

**Section 20 : Manner of distribution of credit by Input Service Distributor**

- (1) The Input Service Distributor shall distribute the credit of central tax as central tax or integrated tax and integrated tax as integrated tax or central tax, by way of issue of a document containing the amount of input tax credit being distributed in such manner as may be prescribed.
- (2) The Input Service Distributor may distribute the credit subject to the following conditions, namely: –
  - (a) the credit can be distributed to the recipients of credit against a document containing such details as may be prescribed;
  - (b) the amount of the credit distributed shall not exceed the amount of credit available for distribution;
  - (c) the credit of tax paid on input services attributable to a recipient of credit shall be distributed only to that recipient;
  - (d) the credit of tax paid on input services attributable to more than one recipient of credit shall be distributed amongst such recipients to whom the input service is attributable and such distribution shall be pro rata on the basis of the turnover in a State or turnover in a Union territory of such recipient, during the relevant period, to the aggregate of the turnover of all such recipients to whom such input service is attributable and which are operational in the current year, during the said relevant period;
  - (e) the credit of tax paid on input services attributable to all recipients of credit shall be distributed amongst such recipients and such distribution shall be *pro rata* on the basis of the turnover in a State or turnover in a Union territory of such recipient, during the relevant period, to the aggregate of the turnover of all recipients and which are operational in the current year, during the said relevant period.

**Explanation** – For the purposes of this section, –

- (a) the “relevant period” shall be –
  - (i) if the recipients of credit have turnover in their States or Union territories in the financial year preceding the year during which credit is to be distributed, the said financial year;<sup>1</sup>[or]
  - (ii) if some or all recipients of the credit do not have any turnover in their States or Union territories in the financial year preceding the year during which the credit is to be distributed, the last quarter for which details of such turnover of all the recipients are available, previous to the month during which credit is to be distributed;
- (b) the expression “recipient of credit” means the supplier of goods or services or both having the same Permanent Account Number as that of the Input Service Distributor;
- (c) the term ‘turnover’, in relation to any registered person engaged in the supply of taxable goods as well as goods not taxable under this Act, means

---

1 In Hindi version of gazette “or” word is missing.

**Central Goods & Services Tax Act, 2017**

the value of turnover, reduced by the amount of any duty or tax levied<sup>2</sup>[under entries 84 and 92A] of List I of the Seventh Schedule to the Constitution and entries 51 and 54 of List II of the said Schedule.

---

---

<sup>2</sup> Substituted for "under entry 84" by CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018). It is made effective from 01-02-2019 by Noti. No. 02/2019–Central Tax, dt. 29-01-2019.

**धारा 20 : इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्रत्यय के वितरण की रीति**

- (1) इनपुट सेवा वितरक, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, कोई ऐसा दस्तावेज जारी करके, जिसमें वितरित किए जाने वाले इनपुट कर प्रत्यय की रकम अंतर्विष्ट हो, केन्द्रीय कर के प्रत्यय का केन्द्रीय कर या एकीकृत कर के रूप में और एकीकृत कर का एकीकृत कर या केन्द्रीय कर के रूप में वितरण करेगा।
- (2) इनपुट सेवा वितरक, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, प्रत्यय का वितरण कर सकेगा, अर्थात् :-
- (क) प्रत्यय के प्राप्तिकर्ताओं को किसी दस्तावेज के प्रति, जिसमें ऐसे ब्यौरे अंतर्विष्ट हो, जो विहित किए जाएं, प्रत्यय का विवरण किया जा सकता है;
- (ख) वितरित किए गए प्रत्यय की रकम, वितरण के लिए उपलब्ध प्रत्यय की रकम से अधिक नहीं होगी;
- (ग) किसी प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता को मानी गई इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर के प्रत्यय का वितरण केवल उस प्राप्तिकर्ता को ही किया जाएगा;
- (घ) प्रत्यय के एक से अधिक प्राप्तिकर्ताओं को मानी गई इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर के प्रत्यय का वितरण ऐसे प्राप्तिकर्ताओं के बीच किया जाएगा, जिनके लिए इनपुट सेवा मानी जा सकती है और ऐसा वितरण सुसंगत अवधि के दौरान ऐसे प्राप्तिकर्ताओं के राज्य में के आवर्त या संघ राज्यक्षेत्र में के आवर्त के आधार पर, ऐसे सभी प्राप्तिकर्ताओं के, जिनके लिए सभी निवेश सेवा मानी गई है और जो सुसंगत अवधि के दौरान, चालू वर्ष में प्रचालन कर रहे हो, सकल आवर्त का अनुपाततः होगा;
- (ङ) प्रत्यय के सभी प्राप्तिकर्ताओं के लिए मानी गई इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर के प्रत्यय का ऐसे प्राप्तिकर्ताओं के बीच वितरण किया जाएगा और ऐसा वितरण, ऐसे प्राप्तिकर्ता के राज्य में के आवर्त या संघ राज्यक्षेत्र में के आवर्त के आधार पर सुसंगत अवधि के दौरान ऐसे सभी प्राप्तिकर्ताओं की जो, उक्त सुसंगत अवधि के दौरान चालू वर्ष में प्रचालन कर रहे हो, के सकल आवर्त का अनुपाततः होगा।

**स्पष्टीकरण :** इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

- (क) “सुसंगत अवधि”,—
- (i) यदि प्रत्यय के प्राप्तिकर्ताओं का, उस वर्ष के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में, जिसके दौरान प्रत्यय का विवरण किया जाना है, उनके राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में आवर्त है तो उक्त वित्तीय वर्ष होगी; <sup>1</sup>[या]
- (ii) यदि प्रत्यय के कुछ या सभी प्राप्तिकर्ताओं का, उस वर्ष के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में, जिसके दौरान प्रत्यय का वितरण किया जाना है, उनके राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में कोई आवर्त नहीं है तो ऐसा उस मास के पहले की, जिसके दौरान प्रत्यय का वितरण किया जाना है, ऐसी अंतिम तिमाही होगी, जिसके लिए सभी प्राप्तिकर्ताओं के ऐसे आवर्त के ब्यौरे उपलब्ध हो;
- (ख) “प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता” पद से उस इनपुट सेवा वितरक के तत्समान स्थायी खाता संख्यांक रखने वाला माल या सेवाओं या दोनों का पूर्तिकार अभिप्रेत है;
- (ग) इस अधिनियम के अधीन कराधेय माल और साथ ही ऐसे माल की, जो कराधेय नहीं है, पूर्ति में लगे हुए किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में “आवर्त” से संविधान की सातवीं अनुसूची

1 यहाँ “या” शब्द राजपत्र के अंग्रेजी संस्करण को देखते हुए दिया गया है।

भाग-I

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017

की सूची 1 की <sup>2</sup>[प्रविष्टि 84 और प्रविष्टि 92क] और उक्त अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 51 और प्रविष्टि 54 के अधीन उद्गृहीत किसी शुल्क या कर की रकम को घटाकर आवर्त का मूल्य अभिप्रेत

---

---

2 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा "प्रविष्टि 84" के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।